

## भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद आगरा में बॉईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बॉईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु बिना वृक्ष पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

**Proposal No. - 49462/2020**

|     |                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 14. | स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | नहीं                                           |
| 15. | क्या सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा दी गई सूचना से सहमत हैं।                                                                                                                                    | सहमत                                           |
| 16. | प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें -                                                                                    | प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। |

दिनांक : 25-01-2023

स्थान : आगरा

(राकेश चन्द्र)  
वन संरक्षक,  
आगरा वृक्ष आगरा।